इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

केन्द्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

दिलों के पास, मुस्कान के साथ

www.iob.in

विज्ञापन सं. मासंविवि/भर्ती/03/2012 दिनांक: 29.06.2012

1500 लिपिकीय स्टाफ की भर्ती - 2012

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक, जिसका मुख्यालय चेन्नै में स्थित है एवं जिसकी शाखाएँ संपूर्ण भारत एवं विदेशों में भी हैं, लिपिकों के पद के लिए उन भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है, जिन्होंने नवम्बर/ दिसंबर 2011 में आइबीपीएस द्वारा आयोजित लिपिकीय श्रेणी पद के लिए सामान्य लिखित परीक्षा (सीडब्ल्युई) में भाग लिया और जिन्होंने वैध सीडब्ल्युई - लिपिक 2011-12 स्कोर कार्ड प्राप्त किया व जो इस अधिसूचना में निम्न अनुसार व्यक्त पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे **29.06.2012** और **14.07.2012** के मध्य हमारे बैंक की वेबसाइट **www.iob.in** के ज़रिए ऑनलाइन आवेदन ही करें। अन्य किसी भी प्रकार / माध्यम से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने की तारीख	29.06.2012
ऑनलाइन पंजीकरण समाप्त होने की तारीख	14.07.2012
आवेदन शुल्क/ डाक प्रभार का भुगतान	29.06.2012 से 14.07.2012
साक्षात्कार की अस्थाई तारीख	अगस्त / सितंबर 2012

1.रिक्तियों का विवरण

राज्य कोड	राज्यों / संघ क्षेत्रों में रिक्तियाँ	रिक्तियों की संख्या					उनमें से			
							शारीरिक रूप से विकलांग			
		अज	अजज	अपिव	सा.	कुल	दृष्टिहीन	बधिर	अवि	भू.पू.सै
11	आन्ध्रप्रदेश	13	5	22	45	85	1	1	2	12
12	असम	1	0	1	3	5	0	0	0	0
13	बिहार	0	0	1	4	5	0	1	0	0
14	छत्तीसगढ़	1	3	0	6	10	0	0	0	1
15	दिल्ली	5	2	9	18	34	0	1	1	5
16	गोवा	0	0	0	2	2	0	0	0	1
17	गुजरात	5	12	21	42	80	1	1	1	11
18	हरियाणा	1	0	1	4	6	0	0	0	0
19	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	3	3	0	0	0	0
20	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	1	1	0	0	0	0
21	झारखंड	2	0	0	3	5	0	0	0	0
22	कर्नाटका	13	5	22	45	85	1	1	1	13
23	केरल	9	0	25	61	95	2	2	1	14
24	मध्यप्रदेश	1	2	1	6	10	0	0	0	1
25	महाराष्टा	3	2	8	17	30	1	0	0	5
26	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	2	2	0	0	0	0
27	सिक्किम	0	0	0	4	4	0	0	0	0
28	अंडमान	0	0	0	3	3	0	0	0	0
29	उड़ीशा	4	6	3	17	30	0	0	1	5
30	पंजाब	9	0	7	15	31	0	0	0	4
31	राजस्थान	4	3	5	13	25	1	1	1	6
32	तमिलनाडु	138	7	196	387	728	7	7	7	115
33	उत्तर प्रदेश	30	1	39	75	145	2	2	2	21
34	उत्तराखंड	7	1	5	27	40	0	1	1	5
35	पश्चिम बंगाल	5	1	5	12	23	1	0	0	5
36	चंडीगढ़	1	0	0	2	3	0	0	0	0
37	पुदुच्चेरी	1	0	2	7	10	0	0	0	1
कुल		253	50	373	824	1500	17	18	18	225

आइ बी पी एस -बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्थान , अजा- अनुसूचित जाति, अजजा - अनुसूचित जन जाति, अपिव - अन्य पिछड़ा वर्ग, सा.- सामान्य, शावि - शारीरिक रूप से विकलांग,भू. पू. सै. - भूतपूर्व सैनिक , दृवि -दृष्टिगत रूप से विकलांग, ब -बधिर, अवि - अस्थि विकलांग, टी डब्ल्यू एस एस - कुल भारित मानक स्कोर , सीडब्ल्युई- लिपिक 2011-12 - नवंबर / दिसंबर 2011 के दौरान लिपिक श्रेणी के पदों के लिए संपन्न सामान्य लिखित परीक्षा

क. चूँकि शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आधार पर है, अत: चयनित उम्मीदवारों को उपयुक्त वर्गों (जैसे अजा/अजजा /अपिव/ सामान्य) में रखा जाएगा ।

ख. रिक्तियों की संख्या और आरक्षित रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और बैंक की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तनीय है ।

ग. उक्त आरक्षण में न्यूनता / बैकलॉग आरक्षण भी समाहित है।

घ. अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण विद्यमान सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा ।

ङ प्रत्येक राज्य / संघ शासित प्रदेश में रिक्तियों की भर्ती सभी उद्देश्यों के लिए अलग भर्ती होगी ।

च. चूँकि लिपिकीय श्रेणी भर्ती राज्य / संघ शासित प्रदेश के आधार पर होगी , इसीलिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार उसी राज्य / संघ शासित प्रदेश की रिक्तियों के लिए आवेदित करें जहाँ से उन्होंने नवंबर / दिसंबर 2011 के दौरान लिपिकीय पद के लिए आइ बी पी एस द्वारा आयोजित सामान्य लिखित परीक्षा (सी डब्ल्यू ई) दी थी और जिसमे वे योग्य करार दिए गए हैं । राज्य / संघ शासित प्रदेश की तरजीह में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ।

छ. यदि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी राज्य / संघ शासित प्रदेश का चयन किया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि उस राज्य / संघ शासित प्रदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए उम्मीदवार पूरी तरह से इच्छुक हैं ।

ज. यह स्पष्ट किया जाता है कि शारीरिक रूप से विकलांग सदस्यों की बैंक की सभी शाखाओं/कार्यालयों में नियुक्ति संभव नहीं है और यदि उनका चयन होता है तो उन्हें बैंक द्वारा निर्धारित उस पद पर काम करना होगा जो उनके लिए उपयुक्त होगा।

झ . चयनित उम्मीदवारों को कम से कम पाँच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए ग्रामीण शाखाओ या ऐसे किसी भी स्थान पर काम करना होगा जिसकी पहचान बैंक ने अपने विवेकाधिकार के तहत की है ।

ट . आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवारों के लिए यदि किसी राज्य / संघ शासित प्रदेश में उनके प्रवर्ग के तहत कोई रिक्ति नहीं होती तो वे सामान्य प्रवर्ग की रिक्तियों के प्रति आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे सामान्य प्रवर्ग की पात्रता, आयु आदि सभी मानदण्डों को पूरा करते हों ।

ठ. चयन किए जाने पर उम्मीदवारों के नाम पर उस राज्य / संघ शासित प्रदेश में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है जहाँ से उसने आवेदित किया है । उस राज्य / संघ शासित प्रदेश में , जहाँ से उसने आवेदित किया है , उम्मीदवार की नियुक्ति बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम अवधि के लिए होगी और इस अवधि के दौरान किसी भी परिस्थिति में उस राज्य / संघ शासित प्रदेश से बाहर किसी भी स्थान पर तबादले अथवा नियुक्ति के लिए किए जाने वाले अनुरोध पर बैंक विचार नहीं करेगा । तथापि बैंक अपनी आवश्यकता के आधार पर उम्मीदवार को, उसका चयन हो जाने की स्थिति में, किसी भी स्थान पर नियुक्त करने / बदली करने का अधिकार रखता है ।

2. पात्रता मानदंड

अ . राष्ट्रीयता / नागरिकता

उम्मीदवार को i) भारत का नागरिक या ii) नेपाल का निवासी या iii) भूटान का निवासी या iv) भारत में स्थाई निवास के इरादे से 1जनवरी 1962 के पहले आए तिब्बत के शरणार्थी या v) भारत में स्थाई निवास के इरादे से आए भारतीय मूल के व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या के पूर्वी अफ्रीकन देश, उगाण्डा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंज़ानिया (पूर्व में तैंगनिका और जंजीबार), ज़ाम्बिया, मलावी, ज़ायरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी तौर पर निवास करने आया है, बशर्ते उम्मीदवार उक्त वर्ग (ii),(iii),(iv) और (v) से संबंधित हो जिसके पक्ष में भारत सरकार ने प्रमाण पत्र जारी किया हो। जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, उसको बैंक द्वारा आयोजित परीक्षा / साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकता है परन्तु अन्तिम रूप से चयन होने के बाद नियुक्ति का ऑफर भारत सरकार से आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र मिलने पर ही दिया जाएगा।

आ. आइबीपीएस स्कोर की आवश्यकता

उम्मीदवारों के पास नवंबर/ दिसंबर 2011 में लिपिकीय श्रेणी पद के लिए आयोजित सामान्य लिखित परीक्षा का वैध सीडब्ल्युई - लिपिक 2011 - 12 स्कोर कार्ड होना चाहिए जिसमें प्रत्येक परीक्षा खंड में प्राप्त किए गए अंकों के अलावा सामान्य लिखित परीक्षा में निम्नवत अनुसार प्राप्त कुल भारित मानक स्कोर (टी डब्ल्यू एस एस)का उल्लेख हो। उम्मीदवारों को यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें अपने द्वारा ऑनलाइन आवेदन फार्म में व्यक्त अनुसार अपने स्कोर के समर्थन में मूल स्कोर कार्ड प्रस्तुत करना होगा ।

सामान्य लिखित परीक्षा	प्रवर्गवार प्रत्येक परीक्षा खंड के कट-आफ अंक	
	सामान्य	आरक्षित (अजा/अजजा/अपिव/शा.वि/भू. पू. सै)
तर्कशक्ति विषयक परीक्षा (टीआर)	24 और ऊपर	21 और ऊपर
अंग्रज़ी भाषा विषयक परीक्षा (ईएन)	24 और ऊपर	21 और ऊपर
गणितीय योग्यता की परीक्षा (एन ए)	24 और ऊपर	21 और ऊपर
बैंकिंग उद्योग के विशिष्ट संदर्भ में सामान्य सजगता की परीक्षा (जीए)	24 और ऊपर	21 और ऊपर
कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा (सीके)	24 और ऊपर	21 और ऊपर

कुल भारित मानक स्कोर (टीडब्ल्युएस):
सामन्य प्रवर्ग के लिए : टीडब्ल्युएस - न्यूनतम 120
आरक्षित वर्ग (अजा/अजजा/अपिव/शा.वि/भू. पू. सै) के लिए : टीडब्ल्युएस - न्यूनतम 105

इ. शैक्षिक अर्हताएँ (01.08.2011)

एच एस सी, जो10+2 (10+2+3) की तर्ज पर है या इण्टरमीडिएट / स्नातक पूर्व या कोई भी ऐसी समतुल्य परीक्षा जिसे केन्द्र / राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त है , में 65% अंकों के साथ उत्तीर्णता (अजा / अजजा / शा वि / भू पू सै के लिए 60%)

(या)

केन्द्र / राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकिंग डिप्लोमा में 60% अंकों के साथ उत्तीर्णता (अजा / अजजा / शा वि / भू पू सै के लिए 55%)

(या)

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के किसी भी संकाय या केन्द्र सरकार द्वारा उसी प्रकार मान्यता प्रदत्त किसी समतुल्य अर्हता में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक (अजा / अजजा / शा वि / भू पू सै के लिए 45%)

नोट :

i) उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो उक्त अर्हता नहीं रखते उनके पास ऐसी सिविल परीक्षा के समतुल्य मान्यता प्राप्त सेवा (विभागीय) परीक्षा में उत्तीर्णता होनी चाहिए , जो उच्चतर माध्यमिक स्कूल परीक्षा के रैंक से कम न हो ।

ii) निर्धारित की गयी उक्त शैक्षिक अर्हता न्यूनतम है और यह 01.08.2011 को या उससे पहले प्राप्त की हुई होनी चाहिए ।

iii) उक्त सभी शैक्षिक अर्हताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / केन्द्र / राज्य / संघ शासित प्रदेश प्रशासन से प्राप्त की हुई होनी चाहिए और उनके परिणाम 01.08.2011 को उससे पहले घोषित किए हुए होने चाहिए । **साक्षात्कार के समय इस बात की पुष्टि करते हुए कि नतीजे 01.08.2011 को या उससे पहले घोषित किए जा चुके हैं , बोर्ड / विश्वविद्यालय से प्राप्त समुचित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा ।**

iv) जिस राज्य / संघ शासित प्रदेश के लिए उम्मीदवार ने आवेदन किया है , उन्हें उसकी राजभाषा पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान होना आवश्यक है ।

v) उन्हें अँग्रेजी धारा प्रवाह बोलने और लिखने का भी ज्ञान होना चाहिए ।

vi) कंप्यूटर साक्षरता - उक्त पद के लिए संबंधित अर्हता के अलावा , कंप्यूटर की साक्षरता भी एक आवश्यक अर्हता होगी , जो उम्मीदवार के पास पहले से मौजूद हो अथवा बैंक में नियुक्त होने के पश्चात छह महीनों के अंदर -अंदर उन्हें यह ज्ञान प्राप्त कर लेना होगा ।

vii) अंकों की प्रतिशतता - ऑन लाइन आवेदन फार्म में उम्मीदवारों को चाहिए कि वे केवल अंकों का प्रतिशत ही दर्ज करें (दशमलव के निकटतम दो अंकों तक संगणित कर) प्रतिशतता के अंश को छोड़ दिया जाना चाहिए और उसे अगले उच्चतम अंक तक राउण्ड ऑफ नहीं किया जाना चाहिए अर्थात 59.99% को 60% से कम माना जाएगा और 54.99%को 55% से कम माना जाएगा । जहाँ कहीं विश्वविद्यालय द्वारा अंकों को प्रतिशतता के रूप में नहीं दिया गया है बल्कि केवल सीजीपीए / ओजीपीए ही प्रदान किया गया है , वहाँ उम्मीदवारों को चाहिए कि अंकों को प्रतिशतता में बदल कर प्रतिशत में ही दर्ज करें । **अंकों को प्रतिशतता में बदलने के लिए बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित " परिवर्तन फार्मूला " की प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होगी ।**

ई. आयु: (दिनांक 01-08-2011 तक) :

न्यूनतम आयु : 18 वर्ष ; अधिकतम आयु : 28 वर्ष । आरक्षित प्रवर्ग के लिए आयु में छूट सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाएगी ।

ऊपरी आयु सीमा में रियायत

क्रम सं.	वर्ग	आयु में रियायत
1	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2	अन्य पिछडा वर्ग उम्मीदवारों के लिए	3 वर्ष
3	शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए	10 वर्ष
4	भूतपूर्व सैनिक	3 वर्ष (रक्षा सेना में वास्तविक सेवा अवधि के अतिरिक्त, बशर्ते अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए।)
5	विधवाओं , तलाकशुदा महिलाओं और कानूनी रूप से पति से अलग हुई महिलाओं के लिए, जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो। (बशर्ते अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के लिए 35 वर्ष, अन्य पिछडा वर्ग के लिए 38 वर्ष और अज / अजज उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष हो)	9 वर्ष
6	01-01-1980 से 31-12-1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग के अधिवासी । (साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस बाबत प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा ।)	5 वर्ष

नोट:

i) ऐसे मामले में जहाँ कोई उम्मीदवार उक्त में से एक से अधिक प्रवर्गों के तहत रियायत का पात्र होता है तो वहाँ आयु में रियायत शेष प्रवर्गों के उस एक वर्ग के साथ संचयन आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी जिसके लिए उल्लिखित बिंदु संख्या 3 से 6 में आयु- रियायत की अनुमति दी गई है।

ii) केन्द्रीय सरकार के अधीन ग्रूप सी और डी में पहले से ही कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्र सरकार के अधीन ग्रूप सी/ ग्रूप डी में उच्च श्रेणी या वर्ग में दूसरा रोज़गार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु रियायत संबंधी लाभ की अनुमति दी जाएगी। फिर भी ऐसे उम्मीदवार केन्द्र सरकार के नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए विद्यमान आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

3.परिभाषाएँ:

शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षण उपलब्ध है। व्यक्ति विकलांगता (समान अवसर, पूर्ण सहभागिता एवं अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1995 की धारा 33 में उल्लिखित व्यक्ति इस आरक्षण के लिए पात्र है। तदनुसार निम्न असमर्थता वाले व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं। उम्मीदवार जो इस लाभ को पाने का दावा करते हैं, वे साक्षात्कार के समय अपने दावे के समर्थन में मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

अ. शारीरिक रूप से विकलांग (शा वि) :

दृष्टिगत विकलांगता (दृ वि) :

नेत्रहीनता एक ऐसी स्थिति है जिसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति निम्न परिस्थितियों का सामना करता है (i) पूर्ण नेत्रहीन हो जाता है (ii) विजुअल एक्यूटी जो बेहतर नेत्र में 6/60 या 20/200 (स्नेलेन) से ज्यादा नहीं होती है जिनमें दृष्टि दोष ठीक करने हेतु लेन्सों को इस्तेमाल किया जाता है (iii) दृष्टि क्षेत्र सीमित हो जाना, जिसकी डिग्री 20 या इससे भी कम होती है। कम दृष्टि का अर्थ है - मानक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कनेक्शन या उपचार लेने के बावजूद दृष्टिबाधिता होना, परंतु जो अपना कार्य करने के लिए यथोचित/उपयुक्त सहायक यंत्र प्रयोग करते हैं।

बधिर एवं श्रवण अक्षमता (श्र अ)

बधिर वे व्यक्ति मानें जाएंगे जिनमें जीवन के साधारण उद्देश्यों हेतु उनके सुनने की क्षमता पूरी तरह काम नहीं करती है अर्थात दोनों कानों से वे बहरे होते हैं। वे न तो सुन सकते हैं, न ही किसी ऐम्पलीफाइड स्पीच के सहारे किसी ध्वनि को समझ सकते हैं। श्रवण अक्षमता उसे कहा जाएगा जहाँ 60 डेसीबल या अधिक की आवृत्ति के वार्तालाप को स्वस्थ कान से न सुना जा सकता हो ।

अस्थि विकलांग (अ वि)

अस्थिगत विचलन की अक्षमता का अर्थ, अस्थियों, जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता है, जो अंगों के संचालन में या मस्तिष्क में काफी गतिरोध पैदा करती है। सेरेब्रल पैलसी का अर्थ, किसी व्यक्ति की ऐसी गैर अग्रगामी दशाओं से है जो उसकी असामान्य नियंत्रण दशा को दर्शाती है जिसका कारण मस्तिष्क रोग या प्रसव के पूर्व प्रसवास्था या शैशव काल की विकास अवस्था के दौरान किसी चोट के कारण हुई है। अस्थि विकलांगता के सभी मामले चलन अक्षमता या सेरेब्रल पैलसी के अंतर्गत आयेंगे। सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को सेवा / पद में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा जो 40% या उससे अधिक सम्बंधित विकलांगता से ग्रसित हों।

आ. भूतपूर्व सैनिक (भू पू सै):

भूतपूर्व सैनिक (भू पू सै): केवल उन्हीं उम्मीदवार को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 36034/5/85 इएसटीटी. (एससीटी) दिनांकित 27.10.1986 जो कि समय-समय पर संशोधित है, में दी गई परिशोधित परिभाषा की शर्तों को पूरा करते हैं।

विकलांग भूतपूर्व सैनिक (वि भू पू सै): भूतपूर्व सैनिक जो राष्ट्र के सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए किसी दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई या समस्याग्रस्त क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए हो, उन्हीं को विकलांग भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा।

कार्रवाई के दौरान मारे गए सैनिकों के आश्रित (का सै अ): भूतपूर्व सैनिक जो निम्न सैनिक कार्रवाईयों के दौरान मारे गए हैं उन्हें ही सशस्त्र सेना की कार्रवाई में मारे गए सैनिक रूप में माना जाएगा: (अ) युद्ध (आ) युद्ध की भाँति सैनिक कारवाई या युद्ध विराम लाइन पर पाकिस्तान से या किसी अन्य देश के साथ सीमा पर मुठभेड़ (इ) विद्रोही क्षेत्रों जैसे नगालैण्ड, मिजोरम इत्यादि में विरोधियों से लड़ते हुए (ई) विदेश में शांति मिशन के दौरान सेवा करते हुए (उ) भूमिगत विस्फोटक लगाते या ऐसे विस्फोटक निकालते समय जिसमें शत्रुओं के भूमिगत विस्फोटक शामिल हैं, और किसी युद्ध अभियान की समाप्ति के एक महीने के पहले से लेकर इस कार्रवाही के समापन के तीन महीने के बाद तक के बीच ऐसे भूमगत विस्फोटों को निकालने की कार्रवाही के दौरान मृत (ऊ)सरकार द्वारा विर्निदिष्ट अवधि के दौरान या वास्तविक सैनिक कार्रवाई के दौरान शीतक्षत (ए) अर्ध-सैनिक बल के कर्मियों के आन्दोलनों को निपटाते समय (ऐ) श्रीलंका में सैनिक कार्रवाई के दौरान मृत आइपीकेएफ कर्मी।

चूँकि शारीरिक रूप से विकलांग / भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण हारिज़ॉण्टल के आधार पर है, चयनित सदस्यों को उस वर्ग में रखा जाएगा जिससे वे संबंधित हैं (यथा अजा / अजजा /अपिव / सा.)।

4. लिपिकीय श्रेणी पद के लिए परिलब्धियाँ

वेतनमान - रु.7200--रु.19300 प्लस महंगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता आदि समय-समय पर प्रभावी बैंक के नियमों के अनुसार नियुक्ति के स्थान के आधार पर दिया जाएगा ।

5. परिवीक्षाधीन अवधि

चयनित सदस्यों को बैंक के नियमानुसार प्रवेश करने की तारीख से छह महीनों की सक्रिय सेवा अवधि के लिए परिवीक्षा में रखा जाएगा। परिवीक्षा की अवधि के सफल समापन पर , यदि योग्य पाया जाता है , तो सदस्यों को बैंक की सेवाओं में पुष्ट किया जाएगा।

6. चयन प्रक्रिया

(अ) साक्षात्कार

केवल पात्रता / सामान्य लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मतलब यह नहीं है कि सदस्य को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने का कोई अधिकार प्राप्त है। रिक्तियों की संख्या के आधार पर केवल उन्हीं सदस्यों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जिन्होंने बैंक के निर्धारित कट -आफ अंक के आधार पर कुल भारित मानक स्कोर (टी डब्ल्यू एस एस) के अंनर्गत मेधाक्रम

में पर्याप्त रूप से उच्च रैंक प्राप्त किया हो और जिनके पास नवंबर / दिसंबर 2011 में आइबीपीएस द्वारा आयोजित सामान्य लिखित परीक्षा (सीडब्ल्युई) में उत्तीर्ण होने का वैध स्कोर कार्ड हो ।

साक्षात्कार के लिए 50 अंक रहेंगे । साक्षात्कार में सामान्य वर्ग के लिए योग्यता के न्यूनतम अंक 22.50 है और अजा/अजजा/अपिव/सामान्य के लिए 20.00 है।

अंतिम चयन राज्य / संघ शासित प्रदेश वार किया जाएगा और यह सदस्य द्वारा नवंबर/ दिसंबर 2011 में आइबीपीएस की सामान्य लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए कुल अंकों और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के समेकन के आधार पर किया जाएगा। और यह विशुद्ध मेधा रैंकिंग के आधार पर होगा। अजा/अजजा/अपिव/सामान्य वर्ग के सदस्यों को विद्यमान सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अंकों में छूट दी जाएगी। यदि आवश्यक हो तो बैंक को चयन प्रक्रिया में परिवर्तन करने का अधिकार है।

7. पहचान की जाँच : साक्षात्कार में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय अपनी पहचान स्वरूप फोटो पहचान जैसे पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / मतदाता कार्ड / फोटो सहित बैंक पासबुक / फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड जाँच के लिए प्रस्तुत करना होगा यदि उम्मीदवार की पहचान संदहास्पद हो तो उन्हें साक्षात्कार में भाग नहीं लेने दिया जाएगा ।

8. महत्वपूर्ण सामान्य अनुदेश

अ) उम्मीदवारों से बैंक की वेबसाइट के जरिए केवल ऑन लाइन आवेदन करने की अपेक्षा की जाती है। किसी अन्य तरीके से किए गए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

आ) उस राज्य / संघ शासित प्रदेश की हमारी किसी भी शाखा में सेवा करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ही आवेदन करना चाहिए जहाँ से उन्होंने आवेदन किया है ।

इ) केवल उन्हीं उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जिन्होंने बैंक द्वारा निर्धारित कट -आफ अंक के आधार पर नवम्बर/ दिसंबर 2011 में लिपिकीय श्रेणी पद के लिए आयोजित आइबीपीएस की सामान्य लिखित परीक्षा (सीडब्ल्युई) में मेधाक्रम में पर्याप्त रूप से उच्च रैंक प्राप्त किया हो और उनको यह आमंत्रण संबंधित दस्तावेज़ों में व्यक्त अपनी आयु या अर्हता या प्रवर्ग या किसी अन्य पात्रता मानदंड की जाँच के बिना होगा और ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर विशुद्ध अनंतिम आधार पर होगा। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना है कि वे विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड और अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं और बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार उनके पास सभी वांछित दस्तावेज़ और प्रामण पत्र विद्यमान है व ऑनलाइन में प्रस्तुत किए गए सारे विवरण सभी तरह से सही एवं वास्तविक हैं।

ई) साक्षात्कार के लिए आवेदनों को आमंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि बैंक उम्मीदवार की पात्रता के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट है यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि सदस्य या सदस्या पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करते और / या उन्होंने कोई आवास्तविक / गलत सूचना / प्रमाण पत्र / दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं या कोई वस्तुनिष्ठ सच्चाई छुपाई है तो बैंक ऐसे सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार रखता है। नियुक्ति के बाद भी यदि उपर्युक्त कमियों का पता चलता है तो उनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती है।

उ) यदि बैंक यह पाता है कि संबंधित पद के लिए उम्मीदवार अपात्र है तो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी दौर में बैंक को कोई भी आवेदन अस्वीकार करने का अधिकार है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी दौर में भर्ती से

संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और वह उम्मीदवारों पर बाध्यकर होगा। **इस बारे में किसी भी प्रकार की निजी पूछताछ या पत्राचार पर बैंक विचार नहीं करेगा।**

ऊ) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले सभी उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक अर्हता , अनुभव , जन्म तिथि, जाति, आइबीपीएस द्वारा जारी स्कोर कार्ड आदि के समर्थन में निर्धारित प्रमाण पत्रों की सत्यापित फोटो प्रतियों के अलावा मूल प्रतियाँ भी प्रस्तुत करनी होंगी । अजा/अजजा/अपिव/शावि वर्ग के सदस्यों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपनी जाति / अपनी विकलंगता के प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियाँ मूल प्रतियों के साथ प्रस्तुत करनी होंगी जो कि अपनी पात्रता के मानदंड के समर्थन में अन्य प्रमाण पत्र के अतिरिक्त होंगी।

साक्षात्कार के समय सदस्यों को चाहिए कि वे फोटो व समुचित स्थानों पर अपने हस्ताक्षर सहित ऑनलाइन आवेदन के प्रिंटआउट की एक प्रति प्रस्तुत करें , साथ ही आइबीपीएस द्वारा लिपिकीय श्रेणी पद के लिये आयोजित सामान्य लिखित परीक्षा के लिए आइबीपीएस को प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति भी प्रस्तुत करें और निर्धारित सी डब्ल्यू ई के लिए जारी वैध स्कोर कार्ड भी प्रस्तुत करें ।

ए) यदि उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग - अल्पसंख्यक प्रवर्ग के हैं तो उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओ बी सी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जहाँ इस बाबत उल्लेख होगा कि वे ओ बी सी के "क्रीमी लेयर" के अंतर्गत नहीं आते है, जिन्हें भारत सरकार के अधीन सिविल पद और सेवाओं के लिए आरक्षण के लाभों से वंचित रखा गया है । ओ बी सी प्रमाणपत्र जहाँ " गैर-क्रीमी लेयर उपबंध " युक्त खण्ड मौजूद हो वहाँ वह एक साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और ऐसा प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा । अन्य पिछडा वर्ग - अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के मामले में ओ बी सी प्रमाणपत्र में जाति का नाम और उस धर्म का भी उल्लेख हो जो उनके अल्पसंख्यक होने की पुष्टि करता है ।

ओ बी सी प्रवर्ग के वे उम्मीदवार जो क्रीमी लेयर के अंनर्गत आते हैं , वे आरक्षण के पात्र नहीं हैं । उन्हें लागू अनुसार " सामान्य " अथवा" सामान्य शा वि "के रूप में अपने प्रवर्ग को दर्शाना होगा ।

ऐ) आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवार, जिनमें शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्ग भी शामिल है , जिनके लिए आरक्षण की घोषणा नहीं की गयी है वे सामान्य प्रवर्ग के तहत घोषित रिक्तियों हेतु आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे सारे पात्रता मानदण्ड पूरा करते हों ।

ओ) ऐसे उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक है, उन्हें साक्षात्कार के समय अपने डिस्चार्ज प्रमाण पत्र / पेन्शन भुगतान आदेश और अंतिम रैंक / वर्तमान रैंक (जो वर्तमान में कार्यरत हैं) का दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। जो अभी भी रक्षा सेवा में कार्यरत हैं उन्हें सक्षम प्राधिकारी से इस बाबत एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें 31 दिसंबर 2012 को या उससे पहले रक्षा सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया है / उनकी रक्षा सेवाओं से सेवा निवृत्ति हो चुकी है ।

औ) . सरकारी / अर्द्धसरकारी कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंक , वित्तीय संस्थाओं सहित)में कार्यरत उम्मीदवारों को चाहिए कि वे अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें अन्यथा उन्हें साक्षात्कार के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी ।

अं) साक्षात्कार परिसर में / चयन प्रक्रिया के दौरान कैलुकुलेटर , मोबाइलफोन, पैजर या अन्य किसी उपकरण का उपयोग करना वर्जित है।

अः) वे सदस्य जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते और जो अधिसूचना और साक्षात्कार कॉल लेटर में सूचित अनुसार वांछित सभी दस्तावेज़ों की मूल व फोटो प्रतियाँ प्रस्तुत नहीं करते (किसी कारण वश) तो उन्हें साक्षात्कार में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, यद्यपि उन्होंने लिपिकीय श्रेणी पद के लिए सामान्य लिखित परीक्षा में वांछित स्तर का स्कोर प्राप्त किया हो और उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया हो।

क) उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए अपने खर्च पर ही आना होगा । तथापि (वर्तमान सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार) अजा/अजजा/शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के बाहर से आनेवाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार में भाग लेने के लिए यात्रा का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नज़दीकी रास्ते से द्वितीय श्रेणी का सामान्य रेल / बस से आने-जाने का किराया प्रतिपूरित किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की हानि / नुकसान या चोट के लिए बैंक बाध्य नहीं होगा।

ख) किसी भी प्रकार की कैनवासिंग को अयोग्यता माना जाएगा।

ग) पते / ई-मेल आइडी में परिवर्तन के लिए किए जाने वाले किसी भी अनुरोध को नहीं स्वीकार किया जाएगा।

घ) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार उम्मीदवार के मेडिकल रूप से फिट घोषित होने की शर्त पर है व संदर्भ कर्ताओं /पुलिस प्राधिकारियों से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही होगी ।

ड़) अंग्रेजी से इतर किसी भी रुपांतरण में अर्थ संबंधी कोई विवाद यदि उत्पन्न होता है तो अंग्रेजी रूप को ही सही माना जाएगा ।

च) इस विज्ञापन से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में यह चेन्नै स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन ही होगा ।

9. अज /अजजा /अपिव / शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी निम्नवत हैं:

क. अज /अजजा /अपिव के लिए

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / उप जिलाधिकारी / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंड्री मजिस्ट्रेट / तालुक मजिस्ट्रेट / एक्ज़िक्यूटिव मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त / मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट /प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट /राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार की श्रेणी से नीचे न हो , /अनुमण्डलीय अधिकारी, जहाँ उम्मीदवार का परिवार साधरणत: निवास करता है।

ख.शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए (पीसी)

केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकरण एक ऐसा चिकित्सा बोर्ड होगा जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। उनमें से कम से कम एक सदस्य उम्मीदवार से संबंधित शारीरिक विकलंगता का विशेषज्ञ होगा।

10. दुर्व्यवहार के लिए दोषी पाये जाने पर कार्रवाई :

उम्मीदवारों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि वे ऑनलॉन आवेदन पत्र भरते समय कोई भी ऐसा विवरण न दें जो गलत हो , बदला गया हो, गढ़ा गया हो। या फिर ऐसी कोई जानकारी न दें जिसमें किसी प्रकार की कोई वस्तुनिष्ठ सूचना छिपाई गई हो । और न ही इस प्रकार का कोई साक्ष्य या प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करें।

साक्षात्कार के समय यदि कोई उम्मीदवार -

i) परीक्षा के दौरान गलत तरीकों का इस्तेमाल करता है या

ii) छद्म रूप से किसी के स्थान पर परीक्षा देता है या किसी को परीक्षा देने के लिए तैयार करता है या

iii) परीक्षा हाल में दुर्व्यव्यवहार करता है या

iv) परीक्षा हाल से प्रश्न पत्र व उत्तर पत्र बाहर ले जाता है या

v) अपनी उम्मीदवारी को आगे बढाने के लिए कोई अनियमित या अनुचित तरीके का सहारा लेता है या

vi) अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी प्रकार का कोई सहयोग/समर्थन जुटाता है

तो उसके खिलाफ न केवल आपराधिक अभियोग लगया जाएगा बल्कि उसे

क) उस परीक्षा के अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा जिसके लिए उसकी उम्मीदवारी है।

ख) उसे बैंक द्वारा आयोजित किसी भी भर्ती के लिए या तो स्थाई रूप से या फिर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वर्जित रखा जाएगा।

11.आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार (अप्रतिपूरणीय)

अज /अजजा /शा.वि./भू.पू.सै.के लिए	अन्य सभी के लिए (अपिव सहित)
रु.20/-	रु.100/-

शुल्क की आदयगी / आवेदन करने से पहले व लिखित परीक्षा / साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें । ऑनलाइन पर आवेदन करने से पूर्व इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की किसी भी शाखा में केवल नकद के रूप में ही आवेदन शुल्क / डाक प्रभार अदा करना होगा। आवेदन शुल्क / डाक प्रभार का भुगतान 29.06.2012 और 14.07.2012 (दोनों तिथियों को मिलाकर) के बीच कर देना चाहिए आाैर ऑनलाइन पर आवेदन करने की अंतिम तारीख है 14.07.2012 ।

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन हमारे बैंक की वेबसाइट पर केवल 29.06.2012 और 14.07.2012 के बीच उपलब्ध रहेगा ।ऑनलाइन आवेदन के लिए तारीख में यदि बदलाव किया जाता है तो भी आवेदन शुल्क / डाक प्रभार अदा करने की अंतिम तारीख यथावत रहेगी। शुल्क अदा करने हेतु शाखा का पता लगाने के लिए सदस्य को हमारे बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर लॉग ऑन करना चाहिए, जहाँ शाखाओं के पते ढूंढने का प्रावधान उपलब्ध है।

12. आवेदन कैसे करें

पात्र उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे हमारी वेबसाइट www.iob.in पर ऑनलाइन के ज़रिए ही अपना आवेदन भेजें और अन्य किसी माध्यम/ प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न लिखित क्रम का पालन करें।

उम्मीदवारों के पास एक वैध ई-मेल आइडी होना चाहिए (नवम्बर/दिसंबर 2011 में आइबीपीएस द्वारा आयोजित लिपिकीय श्रेणी पद के लिये सामान्य लिखित परीक्षा (सीडब्ल्यू) के लिए आवेदित करते समय आनलाइन आवेदन में निर्धारित अनुसार) । भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसे सक्रिय रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ई-मेल आइडी को किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख या किसी को भी प्रकट नहीं करना चाहिए।

अ. उम्मीदवारों को चाहिए कि वे हमारे बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर लॉग ऑन करें और **कैरियर कॉलम** (बैंक की वेबसाइट पर नीचे उपलब्ध है) पर क्लिक करने से कैरियर पृष्ठ खुलेगा ।

आ. उम्मीदवारों को चाहिए कि वे कैरियर पृष्ठ पर उपलब्ध 1500 लिपिकों की भर्ती 2012 के अंतर्गत उपलब्ध **विज्ञापन (अँग्रेजी) या विज्ञापन (हिन्दी)** पर क्लिक करते हुए विस्तृत विज्ञापन का गौर से अवलोकन करें और कथित पद के लिए आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता को सुनिश्चित कर लें।

इ. आवेदकों को चाहिए कि वे खाली भुगतान रसीद/ चालान का प्रिन्ट आउट ले लें जो इस अधिसूचना के **अनुबंध** के रूप में उपलब्ध है ।

ई. आनलाइन पर आवेदन करने से पूर्व सदस्य को चाहिए कि वह इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की किसी भी शाखा में भुगतान रसीद/ चलान को भरकर **केवल नकदी के ज़रिए आवेदन शुल्क/डाक प्रभार विप्रेषित करें और उक्त अनुसार प्रदत्त इस शुल्क के लिए भुगतान रसीद/ चलान की अपनी प्रति आवेदन शुल्क/ प्रदत्त सूचना प्रभार के प्रमाण स्वरूप वापस ले लें** । कृपया सुनिश्चित करें कि भुगतान रसीद / चलान में निम्नलिखित सूचना सही - सही भरी जाती है : (1) नाम (2) प्रवर्ग (3) आइ बी पी एस सी डब्ल्यू ई - लिपिक 2011-12 पंजीकरण संख्या (4) शाखा का नाम व कोड संख्या (5) लेनदेन आइडी (6) जमा की तारीख और राशि।

उ) आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार भर दिए जाने के बाद सदस्यों को हमारे बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर लॉग आन करना होगा और वहाँ उपलब्ध कैरियर पृष्ठ पर " ऑन लाइन आवेदन करें " लिंक पर क्लिक करना होगा जो कि **"1500 लिपिकीय स्टाफ 2012 की भर्ती "** नामक शीर्षक के तहत उपलब्ध होगा । यह लिंक ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उपलब्ध रहेगा । अपनी पंजीकरण संख्या और अनुक्रमांक के साथ साथ आइ बी पी एस सी डब्ल्यू ई - लिपिक 2011 -12 से जुड़े अपने पासवर्ड सहित ऑनलाइन आवेदन हेतु इस लिंक पर लाग इन करना होगा तथा ऑन लाइन आवेदन फार्म में मांगे गए विवरणों को भरना होगा ।

ऊ) विवरण भरने के बाद उम्मीदवारों को आन लाइन पर ही यह आवेदन प्रस्तुत कर देना होगा । तत्पश्चात इस आन लाइन आवेदन फार्म का सिस्टम सृजित एक प्रिन्ट आउट लेना होगा । पंजीकरण संख्या और सृजित पासवर्ड भविष्य के संदर्भों के लिए अपने पास रख लेना चाहिए । उम्मीदवारो को सूचित किया जाता है कि वे आन लाइन पर सारे विवरण स्वयं ही सही सही भर दें ।

नोट:

उम्मीदवार और उसके पिता / पति आदि का नाम ऑनलाइन आवेदन में ठीक उसी तरह से ही व्यक्त किया जाना चाहिए जैसा कि प्रमाण पत्र / मार्क शीट में दर्शाया गया है। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन / बदलाव उम्मीदवार को

अयोग्य ठहरा देगा। **उम्मीदवार को चाहिए कि वह साक्षात्कार के समय भुगतान रसीद /चलान की अपनी प्रति सहित साक्षात्कार बुलावा पत्र तथा अधिसूचना में सूचित अनुसार अन्य दस्तावेज़ अपने साथ लाएँ अन्यथा उसे साक्षात्कार के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।**

13. साक्षात्कार केन्द्र

साक्षात्कार देश भर के प्रमुख केन्द्रों में आयोजित किया जाएगा और केन्द्र का पता साक्षात्कार काल लेटर में सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार का आयोजन विभिन्न केन्द्रों में बैंक द्वारा निर्धारित तिथियों पर किया जाएगा और इसकी सूचना साक्षात्कार के लिए चयनित सदस्यों को दे दी जाएगी।

नोट:

क. साक्षात्कार केन्द्र या साक्षात्कार की तिथि बदलने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख. साक्षात्कार के स्थान, केन्द्र, समय, तिथि में परिवर्तन करने / जोड़ने / निरस्त करने का अधिकार बैंक के पास है और किसी अन्य केन्द्र पर भी उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाने या किन्हीं परिस्थितियों में, यदि कोई हों, तो उम्मीदवारों के किसी समूह को किसी अन्य केन्द्र / स्थान पर किसी समय व तिथि विशिष्ट पर साक्षात्कार के लिए बुलाने का विवेकाधिकार रखता है। यदि इस प्रकार कोई परिवर्तन किया जाता है तो उम्मीदवारों को इसकी सूचना समय से पहले दे दी जाएगी।

14. साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर

केवल वही उम्मीदवार साक्षात्कार में भाग लेने के पात्र होंगे जिसने आइबीपीएस की सामान्य लिखित परीक्षा सी डब्ल्यू ई - लिपिक 2011-12में उत्तीर्ण होकर वैध स्कोर कार्ड पाया हो और इस अधिसूचना में उल्लिखित पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हों । ऐसे सदस्यों को उस ई-मेल आइडी पर सूचित किया जाएगा जो कि उन्होंने नवम्बर / दिसंबर 2011 में आइबीपीएस द्वारा लिपिकीय श्रेणी पद के लिए आयोजित सामान्य लिखित परीक्षा हेतु ऑनलाइन पर आवेदन करते समय उल्लिखित किया है। (या फिर) कॉल लेटर को बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। साक्षात्कार के लिए अंतिम रूप से चुने गये सदस्यों के नाम व उनकी पंजीकरण की संख्या के विवरण बैंक की वेबवाइट www.iob.in पर भी उपलब्ध रहेंगे।

यदि सदस्यों को किन्हीं तकनीकी कारणों या अन्य कारणों से कॉल लेटर के बारे में कोई संप्रेषण या कोई सूचना नहीं मिल पाती है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। सदस्यों को चाहिए कि वे समय-समय पर बैंक की वेबसाइट पर विज़िट करते हुए अपने आवेदन की स्थिति का पता लगाते रहें।

नोट:

यह उम्मीदवारों के अपने हित में होगा कि वे अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न कर ऑनलाइन पर पंजीकरण और आवेदन की प्रस्तुति समय से पहले कर दें ताकि इंटरनेट पर भार पडने के कारण / वेबसाइट जैम होने के कारण बैंक की वेबसाइट पर लॉगआन करने में असफलता / असमर्थता और डिसक्नेक्शन की संभावना से बचा जा सके। उपर्युक्त कारणों वश या बैंक के नियंत्रण से परे किन्हीं अन्य कारणों वश अंतिम तिथि के अंदर-अंदर उम्मीदवार आवेदन की प्रस्तुति यदि नहीं कर पाते हैं तो बैंक इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। **बैंक की वेबसाइट पर दिए गए विस्तृत विज्ञापन का रूप ही अंतिम माना जाएगा और यह सभी उद्देश्यों के लिए यह अन्य सभी रूपों का अधिक्रमण करेगा। तदनुसार, सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे विस्तृत विज्ञापन के लिए हमारे बैंक की वेबसाइट पर लॉगआन करें।**

इस भर्ती से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकर होगा।

महा प्रबंधक (मानव संसाधन)